काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू ब्वॉयज स्कूल

विद्यालयीय प्रवेश – 2022 की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

1. आवेदन पत्रों के ऑनलाईन उपलब्ध होने तथा प्रस्तुत करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण तिथियाँ

   प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाईन फार्म के उपलब्ध होने की तिथि : 01 अप्रैल 2022

   ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि : 30 अप्रैल 2022

   ऑनलाईन आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि : 02 मई से 07 मई 2022

2. ई–लॉटरी कक्षा 6 एवं 9 की संभावित तिथि : 28 मई 2022
3. कक्षा 6 एवं 9 की ई–लॉटरी द्वारा चयनित विद्यार्थियों की सूची प्रकाशित करने की संभावित तिथि : 30 मई 2022
4. कक्षा 11 के लिए, कक्षा 10 का परीक्षा प्राप्तांक, परीक्षा परिणाम आने के एक सप्ताह बाद तक अपलोड किया जा सकेगा।
5. कक्षा 11 की प्रवेश मेधा सूची प्रकाशित करने की संभावित तिथि : 30 जून 2022

6. प्रवेश/काउन्सलिंग की तिथि एवं समय

<table>
<tr><th>कक्षा</th><th>प्रथम काउन्सलिंग</th><th>द्वितीय काउन्सलिंग</th></tr>
<tr><td>6</td><td>23 जून 2022</td><td>28 जून 2022</td></tr>
<tr><td>9</td><td>24 जून 2022</td><td>29 जून 2022</td></tr>
<tr><td>11 गणित वर्ग</td><td colspan="2" rowspan="5">कक्षा 11 की प्रवेश मेधा सूची कक्षा 10 के बोर्ड परिणाम के बाद विद्यार्थियों के अंकपत्र अपलोड करने के बाद।</td></tr>
<tr><td>11 जीवविज्ञान वर्ग</td></tr>
<tr><td>11 वाणिज्य वर्ग</td></tr>
<tr><td>11 कला वर्ग</td></tr>
<tr><td>कक्षा 11 पेड सीट (केवल सेन्ट्रल हिन्दू ब्वॉयज स्कूल के लिए)</td></tr>
</table>

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू ब्वॉयज स्कूल
विद्यालयीय प्रवेश– 2022 सूचना पत्रक

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू ब्वॉयज स्कूल में कक्षा **6, 9** तथा **11**में छात्राओं एवं छात्रों के प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया करता है।

1. विद्यालय

डॉ0 एनी बेसेन्ट द्वारा सन् 1898 में संस्थापित सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज की आधारशिला पर जन्में सेन्ट्रल हिन्दू ब्वायज स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल वाराणसी शहर के हृदय–स्थल कमच्छा क्षेत्र के विशाल भवनों में स्थापित हैं। अपने गौरवमय अतीत को समेटे हुए ये दोनों विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् दिल्ली से सम्बद्ध होकर बालक एवं बालिकाओं को कला, वाणिज्य, गृह विज्ञान, विज्ञान एवं कृषि वर्ग में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के साथ ही साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, व्यायाम एवं पाठ्येतर क्रियाकलापों की विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने में संलग्न हैं। दोनों विद्यालयों में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ हैं जो छात्रों को सभी प्रायोगिक विषयों में विशेष दक्षतायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय में छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण की स्थल सेना एवं वायुसेना की शाखाएँ हैं, एवं छात्राओं के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण की स्थल सेना की शाखा है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का हिस्सा होने के कारण यहाँ के छात्र/छात्राएँ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उन सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं जो सामान्यतः विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त है। दोनों ही विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है।

2. वांछित अर्हताएँ :

कक्षा 6 : अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो तथा 30 सितम्बर 2022 को अभ्यर्थी की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष हो। अर्थात् जन्मतिथि 30.09.2010 से पहले तथा 30.09.2012 के बाद की नहीं होनी चाहिए।

कक्षा 9 : अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो तथा 30 सितम्बर 2022 को अभ्यर्थी की आयु 13 वर्ष से 15 वर्ष हो। अर्थात् जन्मतिथि 30.09.2007 से पहले तथा 30.09.2009 के बाद की नहीं होनी चाहिए।

कक्षा 11 : 30 सितम्बर 2022 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 18 वर्ष हो अर्थात् जन्मतिथि 30.09.2004 के पहले की नहीं होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी ने कक्षा 10 की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आवश्यक प्रतिशत के अनुरूप उत्तीर्ण हो।

बाह्य अभ्यर्थियों के लिएः

- कक्षा 6 एवं 9 ई–लॉटरी द्वारा
- **कक्षा 11 में चयन कक्षा 10 परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा**, जिसका विवरण निम्नांकित हैः

- विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा 10 परीक्षा में कुल 60% अथवा उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है। विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए विज्ञान तथा गणित दोनों विषयों में पृथक्–पृथक् 50% और उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है।
- वाणिज्य वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा 10 परीक्षा में कुल 55% अथवा उससे अधिक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है।
- कला वर्ग में प्रवेश हेतु हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3. संभावित सीट उपलब्धता

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल के लिएः कक्षा 6–90, कक्षा 9–11, कक्षा 11 गणित वर्ग– 17, कक्षा 11 जीव विज्ञान वर्ग– 16, कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग– 25, कक्षा 11 कला वर्ग–40

सेन्ट्रल हिन्दू ब्वॉयज स्कूल के लिएः कक्षा 6–90, कक्षा 9–100, कक्षा 11 गणित वर्ग– 38+ 50*, कक्षा 11 जीवविज्ञान वर्ग– 25, कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग– 13, कक्षा 11 कला वर्ग– 12

कक्षा 11 के लिए सूचना :

- *गणित वर्ग में 50 सीटों को केवल विद्यालय प्रवेश के माध्यम से आने वाले बाहरी छात्रों के लिए (बी.एच.यू. कर्मचारी वर्ग को छोड़कर) प्रवेश दिया जाएगा।
- केवल सेन्ट्रल हिन्दू ब्वॉयज स्कूल में योग्यता की कट आफ सूची के बाद बी.एच.यू. यू.इ.टी./पी.इ.टी. के नियमानुसार केवल 11वीं कक्षा के लिए पेड सीट की श्रेणी में प्रत्येक वर्ग में 5 सीटों का प्रावधान है, गणित वर्ग – 20 सीटें, जीव विज्ञान वर्ग – 10 सीटें, वाणिज्य वर्ग – 5 सीटें, कला वर्ग–5)।
- दोनों विद्यालयों में बाहरी छात्रों के लिए सीटों की संख्या में आन्तरिक छात्रों/छात्राओं के प्रवेश पर आधारित रहेगी।

4. आरक्षण :

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पारित परिनियमावली दिनांक 29/30 मार्च 1996 के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में आन्तरिक छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने के उपरान्त उपलब्ध* रिक्त स्थानों पर निम्नवत् आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

– अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 15%

– अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 7.5%

– अन्य पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए 27%

– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को उनके अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र/अन्य पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमी लेयर की मूल प्रति एवं सत्यापित प्रति काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रवेश के समय जाति प्रमाण–पत्र मूल प्रति उपलब्ध न होने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यह प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जायेगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी अधोलिखित हैं :–

(अ) जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/इक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/इक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।

(ब) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(स) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।

(द) उस क्षेत्र का प्राखण्डिक अधिकारी (सब डिविजनल आफिसर) जहाँ पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यतया निवास करता हो। राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।

(य) प्रशासक/प्रशासक–सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)।

अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिये कि अन्य किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमी लेयर से सम्बन्धित संवर्ग का है तो उसकी जाति/जनजाति भारत सरकार की परिनियमावली में दर्ज होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से होना चाहिए :– (अ) अभ्यर्थी की जाति/जनजाति का नाम (ब) क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है? (स) जिला एवं राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश का नाम जहाँ का वह सामान्यतया निवासी है, और (द) भारत सरकार की परिनियमावली जिसके अन्तर्गत उसकी जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। परन्तु, यदि कोई अभ्यर्थी किसी अन्य श्रेणी में प्रवेश लेने के इच्छुक है (उदाहरणार्थ : शारीरिक अक्षमता/कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग आदि) में प्रवेश लेता/पाता है तो उसे उस श्रेणी की न्यूनतम आवश्यक अर्हता को पूर्ण करना होगा।

– दिव्यांग (OH) छात्रों के लिए 3%

– दिव्यांग अभ्यर्थियों (फिजिकली चैलेन्जड) **(OH)** को अपने जिले के सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये 'विकलांगता प्रमाण–पत्र' की मूल प्रति एवं सत्यापित प्रति काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

– इस वर्ग के अभ्यर्थियो के काउन्सलिंग के समय विकलांगता प्रमाण–पत्र की मूलप्रति एवं सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जायेगा। इन अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू

विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा जहाँ इनकी दिव्यांगता का सत्यापन/अनुमोदन होने के पश्चात् ही इनका प्रवेश सुनिश्चित माना जायेगा।

– **50% सीटों पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के उन पुत्र व पुत्रियों के लिए आरक्षित होंगे।**

- **काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थाई कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश में मिलने वाली सुविधा का विस्तार करते हुये यह सुविधा वर्तमान में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के बच्चों को भी दी जायेगी। इसके अंर्तगत विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित 50% स्थानों पर स्थाई कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के उपरान्त बची शेष सीटों पर संविदा कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत संविदा कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।**
- **यदि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित 50% सीटों पर कोई आन्तरिक छात्र उपलब्ध नहीं होता है तो निर्धारित विद्यालयीय प्रवेश –2022 के उम्मीदवारों की रिक्तियों में परिवर्तन कर दिया जायेगा।**

– काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारियों के पुत्र अथवा पुत्रियों (आंतरिक अभ्यर्थियों को छोड़कर) के लिए उनके माता/पिता के **विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी होने का एल.टी.सी. सेल, बी.एच.यू. द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

– **काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थाई कर्मचारियों के पाल्य को मिलने वाली प्राथमिकता का लाभ IIT-BHU के कर्मचारियों के पाल्य को भी मिलेगा जिनकी नियुक्ति मई 2012 के पूर्व हुई थी। उन्हें भी यह लाभ कुलसचिव कार्यालय IIT-BHU द्वारा निर्गत स्थायी कर्मचारी होने के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के बाद ही मिलेगा।**

*रिक्त स्थानों की उपलब्धता विद्यालय की गृह परीक्षा/बोर्ड परीक्षा के परीक्षा–परिणाम के आधार पर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या पर निर्भर करती है।

5. सामान्य सूचनाएँ :

क) सेन्ट्रल हिन्दू ब्वॉयज स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल के वे नियमित छात्र/छात्राएँ जो पूरक (कम्पार्टमेन्टल) परीक्षा में शामिल होने के योग्य घोषित किए गये हैं, वे यह पूरक परीक्षा प्रथम दो प्रयासों जुलाई (प्रथम) अथवा मार्च (द्वितीय) में उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो वे विद्यालय के नियमित छात्र माने जायेंगे।

ख) **यदि कोई अभ्यर्थी कक्षा 11 में एक से अधिक वर्ग में आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे भिन्न–भिन्न वर्ग के लिए अलग–अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा।**

ग) अभ्यर्थी आवेदन प्रत्र भरने के पूर्व भलीभाँति सुनिश्चित हो लें कि वे आवेदन पत्र में वांछित सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं। काउन्सलिंग के समय मूल प्रमाण पत्रों से उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं का सत्यापन किया जायेगा। किन्तु प्रवेश या पात्रता के लिए अपेक्षित अंक प्राप्त कर लेना ही प्रवेश हेतु पर्याप्त नहीं माना जायेगा, जब तक वे अपेक्षित अर्हता शर्तें पूरी नहीं कर लेते।

चयन–प्रक्रियाः

(i) **कक्षा 6 एवं 9 के सीटों का आवंटन ई–लॉटरी के द्वारा निम्न चरणों में किया जाएगा।**

1. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारी वर्ग के बच्चों को कुल सीटों का 50% जिसके अन्तर्गत–
   - i. दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों का 3% सीटों (क्षैतिज) पर लॉटरी के द्वारा चयन किया जायेगा।
   - ii. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 15%
   - iii. अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 7.5%
   - iv. अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए 27%

   और अनारक्षित
2. शेष सीटों पर ई–लॉटरी निम्न वरीयता क्रम से की जाएगी–
   - i. 3% सीटों (क्षैतिज) पर लॉटरी के द्वारा चयन किया जायेगा।
   - ii. 7.5% सीटों अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों का चयन।
   - iii. 15% सीटों अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों का चयन।

     नोटः शेष बची अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सीटों पर उन्हीं के द्वारा परस्पर परिवर्तित की जाएगी।
   - iv. 27% सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों का चयन।
   - v. शेष सीटें पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन

नोटः प्रत्येक वर्ग की अलग प्रतीक्षा सूची होगी।

(ii) **कक्षा 11: कक्षा 10 के मेरिट के आधार पर**

कक्षा 11 में प्रवेश कक्षा 10 में प्राप्त अंकों/प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वे बोर्ड जहॉ प्राप्तांको को प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जैसे CISCE नई दिल्ली, वहॉ मेरिट की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी।

मेरिट निर्धारण (प्राप्त प्रतिशत) = (मेरिट (कुल प्रतिशत) = विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत/कुल विषय X 100 (कुल प्राप्तांकों को प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है।

अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान मेरिट होती है तो उसका निर्धारण अधोलिखित सारिणी के अनुसार होगा –

सारिणी – 1

क्र.स.	विषय समूह	विषयों को मेरिट के लिए इस प्रकार समझा जाए
1.	गणित	गणित में प्राप्त अंकों का प्रतिशत#
2.	जीव विज्ञान	विज्ञान में प्राप्त अंकों का प्रतिशत#
	वाणिज्य	वाणिज्य में समाजिक विज्ञान में प्रतिशत (CISCE बोर्ड से संबद्ध अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित विषय समूह इस प्रकार होगा इतिहास+नागरिक शास्त्र+ भूगोल+ गणित में प्राप्त प्रतिशत)#
3.	कला	सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों का प्रतिशत (CISCE बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए इतिहास+नागरिक शास्त्र+भूगोल में प्राप्त प्रतिशत)#

#दशमलव के 3 स्थानों तक प्रतिशत की गणना की जाएगी।

सारिणी –1 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होते है तो सारिणी –2 में उल्लिखित विषय समूह के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।

सारिणी –2

क्र.स.	विषय समूह	विषयों को मेरिट के लिए इस प्रकार समझा जाए
1.	गणित	गणित में प्राप्त प्रतिशत + विज्ञान में प्राप्त प्रतिशत#
2.	जीव विज्ञान	विज्ञान में प्राप्त प्रतिशत + गणित में प्राप्त प्रतिशत#
	वाणिज्य	सामाजिक विज्ञान में प्राप्त प्रतिशत (अगर CISCE बोर्ड से संबद्ध है तो इतिहास+नागरिक शास्त्र+ भूगोल) + गणित तथा विज्ञान में प्राप्त प्रतिशत#
3.	कला	सामाजिक विज्ञान में प्राप्त प्रतिशत (CISCE बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए इतिहास+नागरिक शास्त्र+भूगोल में प्राप्त प्रतिशत)+किसी एक भाषा का प्रतिशत (जो सर्वाधिक हो)#

#दशमलव के 3 स्थानों तक प्रतिशत की गणना की जाएगी।

सारिणी –2 में दिए गए विषयों की गणना के पश्चात् 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक/मेरिट होने पर आयु के अनुसार मेरिट निर्धारण किया जाएगा।

नोट– काउन्सलिंग के लिए किसी भी अभ्यर्थी को अलग से पत्र नहीं भेजा जाएगा। लाटरी मेरिट लिस्ट BHU के प्रवेश पोर्टल www.bhuonline.in पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना/अपनी मेरिट देखकर काउंसलिग के समय आवश्यक प्रपत्रों (मूल अंक पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा विद्यालय में प्रवेश हेतु भरे गए आवेदन पत्र की कापी)।

6. कक्षा 11 में उपलब्ध विषय समूहः

सेन्ट्रल हिन्दू ब्वॉयज स्कूल

विज्ञान वर्ग

गणित वर्ग :

A1: 1. अंग्रेजी कोर; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. गणित; 5. कम्प्यूटर विज्ञान।

A2, A3 एवं A4 : 1. अंग्रेजी कोर; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. गणित; 5. हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/शारीरिक शिक्षा।

जीव विज्ञान वर्गः

B1: 1. अंग्रेजी कोर; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. जीव विज्ञान; 5. कम्प्यूटर विज्ञान/कृषि विज्ञान।

B2: 1. अंग्रेजी कोर; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. जीव विज्ञान; 5. हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/गणित/शारीरिक शिक्षा।

वणिज्य वर्गः

E: 1. अंग्रेजी कोर; 2. एकाउण्टेन्सी; 3. व्यवसायिक अध्ययन; 4. अर्थशास्त्र; 5. गणित/संगीत (गायन)/शारीरिक शिक्षा/कम्प्यूटर विज्ञान/हिन्दी कोर/संस्कृत कोर।

कला वर्गः

F: 1. अंग्रेजी कोर/हिन्दी कोर; 2. अर्थशास्त्र/मनोविज्ञान; 3. इतिहास/संगीत (गायन)/कम्प्यूटर विज्ञान; 4. राजनीति विज्ञान/संस्कृत कोर/गणित; 5. भूगोल/शारीरिक शिक्षा।

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल

विज्ञान वर्ग

1. अंग्रेजी कोर; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. गणित/जीव विज्ञान; 5. हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/कम्प्यूटर विज्ञान/ संगीत (गायन/सितार/तबला)।

वणिज्य वर्ग:

1. अंग्रेजी कोर; 2. एकाउण्टेन्सी; 3. वणिज्य अध्ययन;4.अर्थशास्त्र; 5.हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/कम्प्यूटर विज्ञान/संगीत (गायन/सितार/तबला)/गणित।

कला वर्ग:

1. हिन्दी इलेक्टिव/अंग्रेजी इलेक्टिव 2.इतिहास/शारीरिक शिक्षा; 3.अर्थशास्त्र/मनोविज्ञान/गृहविज्ञान; 4. राजनीति विज्ञान/भूगोल/चित्रकला; 5. गणित/कम्प्यूटर विज्ञान/अंग्रेजी कोर/हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/संगीत (गायन/सितार/तबला)।

टिप्पणी:

1. हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा अनिवार्य है। एक साथ दोनों भाषाएँ भी चुनी जा सकती है।
2. **भाषाओं में से प्रत्येक या तो कोर स्तर या इलेक्टिव स्तर पर चुनी जा सकती हैं। एक ही भाषा दोनों स्तर पर एक साथ चुनने कि अनुमति नहीं है।**
3. विषय समूह के चुनाव की अनुमति निश्चित रुप से मेधा सूची के अनुरुप एवं वांछित विषय/विषय–समूह में सीटों की उपलब्धता के आधार पर ही दी जायेगी।
4. ऐच्छिक विषय के रूप में गणित (विज्ञान, वणिज्य, कला) लेने के लिए अभ्यर्थी को कक्षा 10 में गणित विषय में 50% अथवा उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड अवश्य होना चाहिए।

7. आवेदन पत्र

विश्वविद्यालय ने इसके लिए www.bhuonline.in डोमेन नाम से प्रवेश परीक्षा पोर्टल तैयार किया है। इसका लिंक बी0 एच0 यू0 की वेबसाइट (www.bhu.ac.in) पर भी उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2022–23 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन बनायी गयी है। तदनुसार, अभ्यर्थी ध्यान दे कि विद्यालय प्रवेश 2022 सूचना पुस्तिका एवं आवेदन पत्र का विक्रय नहीं किया जाएगा (क्योंकि ऑफलाइन मोड नहीं होगा) और प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर नामांकन करना आवश्यक होगा तथा पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन–पत्र ऑनलाइन भरना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा पोर्टल www.bhuonline.in देखें या www.bhu.ac.in देखें।

8. आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा :

अनु0जा0/अनु0 जन0जा0	₹200.00
सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग	₹400.00

आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान का विधि

अभ्यर्थी को विद्यालय प्रवेश 2022 का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना है, क्योंकि मुद्रित सूचना पुस्तिका व आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय नहीं किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर पेमेंट गेटवे द्वारा उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में अन्य प्रक्रिया खंड 11 में दिया गया है।

टिप्पणीः

क) एससी/एसटी अभ्यर्थियों हेतु रियायती दर पर आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क सहित एक बार प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एससी/एसटी श्रेणी के अन्तर्गत ही विचार किये जायेंगे।

ख) आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही दूसरे पाठ्यक्रम हेतु अन्तरित किया जायेगा तथा आगामी वर्षों के लिए आरक्षित भी नहीं होंगे।

9. आवेदन पत्रों के ऑनलाइन उपलब्ध होने तथा प्रस्तुत करने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

प्रवेश पोर्टल पर विद्यालय प्रवेश 2022 ऑनलाइन फार्म के उपलब्ध होने की तिथि : 01 अप्रैल 2022

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि : 30 अप्रैल 2022

10. आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देशः

विद्यालय प्रवेश 2022 हेतु आवेदन पत्र बी.एच.यू. के प्रवेश परीक्षा पोर्टल www.bhuonline.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र आनलाईन भरा जाना है। आवेदन पत्र भरने तथा आवेदन शुल्क जमा करने सम्बन्धी विस्तृत निर्देश बी0 एच0 यू0 के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर दिये गये हैं। अभ्यर्थी को अपना फोटो तथा हस्ताक्षर पोर्टल में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन करने है और इसे अपलोड करने हैं।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क/प्रवेश शुल्क क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर पेमेंट गेटवे द्वारा उपलब्ध है।

नोटः

- अभ्यर्थी द्वारा ऊपर दिये गये विधि से आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करने के बाद ही विद्यालय प्रवेश आवेदन पत्र सफलतापूर्वक प्रस्तुत माना जायेगा।
- आवेदन पत्र के आनलाइन प्रस्तुत करने तथा आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/परीक्षा शुल्क का सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात अभ्यर्थी को आनलाइन भरे गये फार्म (जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विवरण तथा आवेदन शुल्क के भुगतान संबंधी लेनदेनका ब्यौरा शामिल है) का एक प्रिंट आउट प्रवेश पोर्टल अथवा अभ्यर्थी के ईमेल अकाउन्ट से लिया जा सकेगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिकार्ड के लिए अपने पास इसकी एक प्रति रखें।

11. आवेदन पत्र अस्वीकृत होने के कारणः

(i) निर्धारित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क के बगैर आवेदन पत्र जमा करना।

(ii) किसी अन्य कमी के पता चलने पर।

टिप्पणीः यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु अर्ह नहीं है, तो उसका/उसकी अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा/मानी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि आवेदन पत्र, न्यूनतम आवश्यक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, संवर्ग आदि अभिलेखों की विस्तृत जाँच प्रवेश के समय, यदि अभ्यर्थी को बुलाया गया, तो की जायेगी। अभ्यर्थी का अभ्यर्थन यदि वह अर्ह नहीं होगा तो उस समय भी निरस्त हो जायेगा।

12. जाँच सूची

आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने से पूर्व निम्नलिखित की विस्तृत जाँच कर लें :

(i) क्या आपने निर्धारित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान कर दिया है ?

(ii) आवेदन पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर करना न भूलें यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर 'हस्ताक्षर' नहीं करता/करती है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।

(iii) क्या आपने सभी प्रविष्टियों की जाँच फार्म जमा करने से पूर्व भली भाँति कर ली है।

13. अति–आवश्यक एवं अनिवार्यः

क) अभ्यर्थी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संविधान/नियमों/उपनियमों जो समय–समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, से बाध्य होगा।

ख) प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए स्थानीय वाराणसी या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का क्षेत्राधिकार होगा।

ग) किसी भी संदेह की दशा में अभ्यर्थी का प्रमाणपत्र/स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जायेगा तथा गलत या जाली पाये जाने की स्थिति में प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट : – भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद सत्य माना जायेगा।